

प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी  
प्रमुख सचिव  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश।

पंचायतीराज अनुभाग-3

लखनऊ दिनांक: 19 जून, 2015

विषय: चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की कृतिपय संस्तुतियां लागू करने का निर्णय लिया गया है। अतः राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायतों को संक्रमित की जाने वाली धनराशि के उपभोग के सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल निम्नवत् मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण करने की अनुमति प्रदान करते हैं—

1— पंचायतीराज संस्थाओं का अंश एवं धन वितरण का फार्मूला—

- 1.1 राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत ग्रामीण निकायों को अन्तरित की जाने वाली धनराशि का बटवारा जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायतों के मध्य 40:10:50 के अनुपात में किया जायेगा।
- 1.2 उपरोक्तानुसार क्षेत्र पंचायतों हेतु उपलब्ध कुल धनराशि का बटवारा क्षेत्र पंचायतों के मध्य 80:20 के सिद्धान्त से किया जायेगा। इस सिद्धान्त में 80 प्रतिशत कुल जनसंख्या तथा 20 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति की संख्या को भार देते हुए किया जायेगा।
- 1.3 जनपद स्तर पर ग्राम पंचायतों हेतु उपलब्ध कुल संक्रमित धनराशि का बटवारा जनपद की ग्राम पंचायतों के मध्य 80:20 के सिद्धान्त को अपनाते हुए अर्थात् 80 प्रतिशत कुल जनसंख्या तथा 20 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति की जनसंख्यों का भार देते हुए किया जायेगा।
- 1.4 जिला पंचायत द्वारा सड़कों तथा सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के रख-रखाव पर आयोग द्वारा निर्धारित धनराशि व्यय किये जाने तथा अपने सभी कर्मचारियों/ अधिकारियों का वेतन और पेशन का भुगतान करने का प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने पर ही राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर संक्रमण की जाने वाली धनराशि की द्वितीय किशत निर्गत की जायेगी।

2— संक्रमित की जाने वाली धनराशि के व्यय के मार्गदर्शक सिद्धान्त—

- 2.1 ग्राम पंचायतों में परिसम्पत्तियों के रख-रखाव को प्राथमिकता दिये जाने की आवश्यकता है। उक्त प्रयोजन हेतु प्रतिवर्ष संक्रमण की 50 प्रतिशत तक की धनराशि को ग्राम पंचायतों की पूर्व में सूचित परिसम्पत्तियों के समुचित रखरखाव के लिए उपयोग में लाया जायेगा। परिसम्पत्तियों के सम्बन्धित अभिलेखों को प्रतिवर्ष अध्यावधिक किया जायेगा। अन्तरण के

धनराशि से पंचायतों अपनी परिसम्पत्तियों यथा— पंचायत भवनों, स्कूल भवनों, अन्य सामुदायिक भवनों, सार्वजनिक मार्गों, प्रकाश व्यवस्था एवं अन्य सार्वजनिक परिसम्पत्तियों को रखरखाव करने में सक्षम होगी। शेष धनराशि से जये कार्य कराये जा सकेंगे। नये निर्माण कार्यों में सी०सी० रोड/खड़प्जा/ नाली/पुलिया निर्माण तथा अन्य नागरीक सुविधाओं पर प्राथमिकता दी जायेगी।

ग्राम पंचायतों द्वारा कराये जाने वाले प्रत्येक कार्य की कार्ययोजना सहायक विकास अधिकारी(प०) को निश्चित रूप से उपलब्ध करायी जायेगी। दिना कार्य योजना के ग्राम पंचायत कोई कार्य नहीं करायेगी। प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा प्रतिवर्ष कराये जाने वाले कार्ययोजना का विवरण सहायक विकास अधिकारी (प०) कार्यालय में अवश्य रखी जायेगी, जिसकी जिम्मेदारी सम्बन्धित सहायक विकास अधिकारी(प०) की होगी।

2.2 पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं कर्मियों के प्रशिक्षण, अध्ययन, श्रमण, शैध तथा प्रशिक्षण संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक आवर्ती व्यय के लिए ग्रामीण निकायों हेतु प्रतिवर्ष संक्रमित की जाने वाली धनराशि में से राज्य स्तर पर पंचायतीराज प्रशिक्षण संस्थान हेतु ०.१५ प्रतिशत धनराशि मात्राकृत की जायेगी। यह भात्राकृत धनराशि व्यपगत (लैप्स) या व्यावर्तित (डाइवट) नहीं होगी।

2.3 ग्राम पंचायतों के लिए संक्रमित की जाने वाली धनराशि के सापेक्ष किये गये प्रत्येक कार्य का प्रगति विवरण आनलाइन एम०आई०एस० के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा तथा एक कार्य की एम०आई०एस० फीडिंग के उपरान्त ही दूसरा कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। उक्त कार्य की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सहायक विकास अधिकारी(प०) की होगी। इस पर होने वाला व्यय सम्बन्धित ग्रामीण निकायों द्वारा ही बहन किया जायेगा। धनराशि को मात्राकरण तथा मदों का निर्धारण निर्देशक, पंचायतीराज, उ०प्र० द्वारा शासन की अनुमति से किया जायेगा।

2.4 पंचायतों को संक्रमित धनराशि के दुरुपयोग होने पर संबंधित निकाय के अध्यक्ष/प्रधान, प्रमुख आदि के विरुद्ध कार्यवाही राज्य के अधिनियमों एवं नियमावलियों (ग्राम प्रधान के सम्बन्ध में संयुक्त ग्रान्त पंचायत राज अधिनियम, १९४७ एवं ब्लाक प्रमुख के संबंध में उ०प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, १९६१) में प्राविधिकता व्यवस्था के अनुसार तथा सम्बन्धित निकाय के संविध जो कि शासकीय कर्म हैं, के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

2.5 क्षेत्र पंचायतों को संक्रमित की जाने वाली धनराशि का ५० प्रतिशत तक व्यय यथावश्यकता, क्षेत्र पंचायतों को स्वयं की एवं उन्हें हस्तान्तरित सम्पत्तियों यथारिति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पशुचिकित्सालय, कृषि रक्षा केन्द्र, बीज विपणन गोदाम आदि की मरम्मत और रखरखाव पर अवश्य किया जाया। शेष ५० प्रतिशत धनराशि का उपयोग एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले पूर्व में हुए विकास कार्यों/सुरियों/सम्पत्तियों के रखरखाव तथा इसी प्रकार के नये निर्माण कार्यों पर किया जायेगा। क्षेत्र पंचायतों द्वारा कराये जाने वाले कार्यों को क्षेत्र पंचायत की बैठक में परिल होने के पश्चात उसको अनुमोदन जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी से प्राप्त करने के उपरान्त ही करेंगी। कराये गये प्रत्येक कार्य की एम०आई०एस० फीडिंग करायी

जायेगी तथा एक कार्य की एमोआई०एस० फीडिंग के उपरान्त ही दूसरा कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। उक्त का पूर्ण दायित्व सचिव, क्षेत्र पंचायत का होगा। क्षेत्र पंचायत द्वारा प्रथमतः सहायक विकास अधिकारी(प०) कार्यालय तथा ग्राम पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत के अभिलेखों की सुरक्षा के वृष्टिगत एक अभिलेखागार का निर्माण क्षेत्र पंचायत कार्यालय परिसर में कराया जायेगा, उसके उपरान्त ही क्षेत्र पंचायतें अन्य निर्माण कार्य करा सकेंगी।

**2.6 आडिट अनुशासन के लिए संक्रमित की जाने वाली धनराशि में से 10 प्रतिशत रोकना-**

वित्तीय अनुशासन बनाये रखने हेतु सभी पंचायतों के मध्य वितरित होने वाली धनराशि का 10 प्रतिशत भाग रोकते हुए शेष उपर्युक्त मानक के आधार पर निकायों के मध्य वितरित की जायेगी। उक्त रोकी गयी 10 प्रतिशत धनराशि को भी उपर्युक्त कार्यालय के आधार पर वितरित किया जायेगा लेकिन उसके लिए वहीं ग्रामीण निकाय पात्र होशी जिसके द्वारा एक वर्ष पूर्व तक के अपने लेखों का आडिट करा लिया गया है। जैसे ही कोई निकाय निर्धारित आडिट एजेन्सी का आडिट प्रमाण पत्र उपलब्ध कर देती है उसे उसकी रोकी गयी 10 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त कर दी जायेगी। एक मार्च तक आडिट प्रमाण पत्र शासन को न प्राप्त होने पर उसकी हुई धनराशि अन्य पात्र निकायों के मध्य उनके निर्धारित अंशों के अनुपात में बांट दी जायेगी। डिफाल्टर निकायों का 10 प्रतिशत अंश उनके लिए लैस हो जायेगा। उदाहरणस्वरूप वर्ष 2015-16 के लिए निकायों के मध्य विनाश करते समय वर्ष 2013-14 तक के लेखों का आडिट कराया जाना पात्रता की शर्त होगी, जिसके लिए दिनांक 01 मार्च 2016 तक आडिट प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा।

- i. 5. प्रतिशत धनराशि जिला पंचायत की परिसम्बलितयों के रख-रखाव एवं सृजन पर व्यय की जायेगी।
- ii. जिला पंचायतों द्वारा अपने लेखों का प्रत्येक वर्ष आडिट कराया जायेगा। तथा आडिट प्रस्तर का अनुपालन 3 वर्षों में सुनिश्चित कराया जाना अनिवार्य होगा। जिला पंचायतें अपनी समस्त लेखों को प्रिया साफ्ट में अपलोड करेंगी। इस हेतु प्रत्येक जिला पंचायत के प्रतिवर्ष संक्रमित होने वाली धनराशि की 10 प्रतिशत धनराशि शासन स्तर पर रोकी जायेगी व जिन जिला पंचायतों द्वारा समयान्तरं उक्त शर्तों के क्रम में आडिट सुनिश्चित नहीं कराया जायेगा या प्रिया साफ्ट में सम्पूर्ण पोस्टिंग नहीं की जायेगी, उनको इस प्रकार सेके गये 10 प्रतिशत का भुगतान नहीं किया जायेगा। दोषी जिला पंचायतों की उक्तानुसार रोकी गयी 10 प्रतिशत धनराशि उन जिला पंचायतों में वितरित की जायेगी जो उक्त शर्तों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करेंगी।

### **3. त्रिस्तरीय पंचायतों के पदाधिकारियों को सम्मान एवं सुविधाएं-**

इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 1113/33-2-2006 = 34 जी, 01टी०सी-१। दिनांक 20 मार्च 2006 एवं शासनादेश सं06368/34

2-2006-34जी / 2001 टी0सी-11 दिनांक 26 दिसम्बर 2006 तथा शासन सं002 / 33-2-2014-34जी / 01टी0सी-11 दिनांक 07 जनवरी 2014 प्रभु रहेगा। पंचायतों के पदाधिकारियों को सुविधायें प्रदान किये जाने के फलस्वरूप होने वाले व्यय की धनराशि ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत क्रमशः अपनी गांव निधि, क्षेत्र निधि तथा जिला निधि में जमा धनराशि, जिसमें राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर पंचायतों को संक्रमित की जाने वाली धनराशि भी सम्मिलित है, भौं से बहन कर सकेंगी तथा इसके लिए पृथक से कोई घजट आवंटित नहीं किया जायेगा।

4- उपल विषयक सूर्व में निर्गत समस्त शासनादेश उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे। कृपया राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित की जा रही धनराशियों के उच्चभोग के सम्बन्ध में उद्दानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

5- ये आदेश वित्त विभाग के अर्धशासकीय पत्र संख्या:-एफ0सी0 यू0ओ-28 / दस-2015 दिनांक 19 जूल 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(चबल कुमार तिवारी)  
प्रमुख सचिव

<sup>1639</sup>  
पत्रांक / 33-1-2015 तात्त्विक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित की सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

- 1- सहालेखांकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 2- प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
- 3- प्रमुख सचिव, प्राप्त विकास, उ0प्र0 शासन।
- 4- आयुक्त प्राप्त विकास विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
- 5- स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
- 6- निदेशक, पंचायतीराज (लेखा), इन्दिरा भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
- 7- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0।
- 8- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
- 9- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 10- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 11- समस्त मण्डलीय उपनिदेशक, पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 लखनऊ।
- 12- समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।
- 13- समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उ0प्र0।
- 14- समस्त जिला कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 15- समस्त सहायक विकास अधिकारी (प०), उत्तर प्रदेश शासन।
- 16- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन।
- 17- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन।
- 18- वित्त (संसाधन) आयोग अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 19- पंचायतीराज अनुभाग- 1/2

आइने से

(आर0पो0 सिंह  
संयुक्त सचिव)

प्रेषक,

चौचल कुमार तिवारी

प्रमुख सचिव

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

1. अध्यक्ष, समस्त जिला पंचायतें, उत्तर प्रदेश।
2. निदेशक, पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायतें, उ0प्रो।
4. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्रो।

ज्ञानार्थ

पंचायतीराज अनुभाग-3

लखनऊ दिनांक: 31 अक्टूबर, 2015

विषय: पंचायती राज संस्थाओं को विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत अवमुक्त धनराशि के उपभोग के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-1639/33-3-2015-03/2015, दिनांक-19.06.2015 मार्ग दर्शक संख्या-866/33-2-14-93जी/ 2014 टी0सी0, दिनांक 24 जून, 2014 एवं शासनादेश संख्या-8307/33-2-2004-93जी/2004, दिनांक-12.01.2005 निर्गत किये गये थे।

2— उल्लेखनीय है कि “प्रदेश की जिला पंचायतों एवं अन्य पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा निर्माण कार्य कराये जा रहे हैं। प्रायः यह देखने में आता है कि जिला पंचायतों द्वारा बहुत छोटे-छोटे निर्माण कार्य ग्राम सभा के अन्दर अथवा मजरे को जोड़ने के लिए किये जाते हैं, जबकि ग्राम पंचायतों और क्षेत्र पंचायतों को भी भारत सरकार एवं संघ सरकार के अनुदान प्रश्नगत कार्यों को कराये जाने हेतु प्राप्त होते हैं, जिससे डूँपलीकेसी की सम्भावनाएं बनी रहती हैं। इस संदर्भ में यह निर्णय लिया गया है कि तीनों स्तर की पंचायतें सबसीडियरिटी के सिद्धान्त के आधार पर कार्यों का चरण करें अर्थात् जो कार्य नीचे स्तर पर पंचायत द्वारा बेहतर तरीके से किया जा सकता है, वह उसी उत्तर पर कराया जाय और ऊपर के स्तर पर वह कार्य न कराया जाय।”

विभाग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन की प्रक्रिया का निर्धारण करते हुए चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से प्राप्त होने वाली धनराशि से पंचायतों द्वारा विकास कार्य सम्पादित किये जाय, जो पंचायतीराज अधिनियम-1947 वे क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत, अधिनियम-1961 के अधिनियम-1947 वे क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत, अधिनियम-1961 के प्राविधानों के अनुरूप हों। अतः त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा निर्माण कार्य कराये जाने के लिए निम्नलिखित मार्गदर्शक सिद्धान्त निर्धारित किये जाते हैं—

1. ग्राम पंचायत को जो धनराशि/अनुदान निर्माण कार्यों के लिए दी जाती है, उससे उसी ग्राम पंचायत के अन्दर कार्य सम्पन्न कराये जायें।

2. क्षेत्र धनराशि को जो धनराशि/अनुदान विभिन्न मदों से प्राप्त होती है, उससे एक से अधिक राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने के लिए कार्य कराये जायें।

3. जिला पंचायतें प्राप्त विभिन्न 'अनुदानों से एक से अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने वाले कार्यों को सम्बादित करायेंगी।

4. ग्राम पंचायतों में परिसम्पत्तियों के रख-रखाव की प्राथमिकता दिये जाने की आवश्यकता है। उसत प्रयोजन हेतु प्रतिवर्ष संक्रमण की न्यूनतम् 50 की आवश्यकता है। उसत प्रयोजन की पूर्व में सृजित परिसम्पत्तियों के प्रतिशत धनराशि को ग्राम पंचायतों की पूर्व में सृजित परिसम्पत्तियों के समुचित रखरखाव के लिए उपयोग में लाया जायेगा। परिसम्पत्तियों से सम्बन्धित अभिलेखों को प्रतिवर्ष अध्यावधिक किया जायेगा। अन्तरण की धनराशि से पंचायतों अपनी परिसम्पत्तियों यथा-पंचायत भवनों, स्फूल भवनों, अन्य सामुदायिक भवनों, सार्वजनिक मार्गों, प्रकाश व्यवस्था एवं अन्य सार्वजनिक परिसम्पत्तियों का रखरखाव करने में सक्षम होगी। शेष 50 प्रतिशत धनराशि से नये कार्य कराये जा सकेंगे। ग्राम पंचायतों द्वारा विना सक्षम अनुमोदन के कोई कार्य नहीं कराया जायेगा। नये निर्माण कार्यों में सी०सी० रीड़/खड्डण्जा/ नाली/पुलिया निर्माण तथा अन्य नागरिक सुविधाओं पर प्राथमिकता दी जायेगी। आवंटित धनराशि की कार्ययोजना का अनुमोदन निष्कानुसार कराया जायेगा।

(क) रु० 50,000 तक की कार्ययोजना का अनुमोदन स्वयं ग्राम पंचायत द्वारा किया जायेगा। कार्ययोजना को टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जायेगा।

(ख) रु० 50,001 से रु० 250,000 तक की कार्ययोजना का अनुमोदन सहायक विकास अधिकारी(प०) द्वारा किया जायेगा।

(ग) रु० 250,001 से रु० 50,000 तक कार्ययोजना का अनुमोदन जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

(घ) रु० 50,0001 से ऊपर की कार्ययोजना का अनुमोदन जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा। परन्तु प्रत्येक कार्ययोजना की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी(प०) कार्यालय में अवश्य रखी जायेगी, जिसकी जिम्मेदारी सम्बन्धित सहायक विकास अधिकारी(प०) की होगी।

5. बिन्दु-4 के उपर बिन्दु ग एवं घ से सम्बन्धित प्राक्कलन का तकनीकी परीक्षण अभियन्ता, जिला पंचायत द्वारा किया जायेगा।

6. क्षेत्र पंचायतों को संक्रमित की जाने वाली धनराशि का 50 प्रतिशत तक व्यव यथावश्यकता, क्षेत्र पंचायतों को स्वयं की एवं उन्हें हस्तान्तरित सम्पत्तियों यथास्थिति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पशुचिकित्सालय कृषि रक्षा केन्द्र, बीज विपणन गोदाम आदि की मरम्मत और रखरखाव पर अवश्य किया जायें। शेष 50 प्रतिशत धनराशि का उपयोग एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले पूर्व में हुए विकास कार्यों/सृजित सम्पत्तियों के रखरखाव तथा इसी प्रकार के नये निर्माण कार्यों पर किया जायेगा। क्षेत्र पंचायतों द्वारा कराये जाने वाले कार्यों को क्षेत्र पंचायत की बैठक में पारित होने के पश्चात कराये जाने वाले कार्य का प्राक्कलन का अनुमोदन एवं

कार्ययोजना का अनुमोदन जिला पंचायत संज अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी से प्राप्त करने के उपस्थान ही किया जायेगा।

7. जिला पंचायतों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वे आवंटित धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों में ₹ 10.00 लाख की लायत से अधिक की परियोजनायें ही अधिकांश रूप में अपनी कार्ययोजना में सम्मिलित करेंगी।

अतः अनुरोध है कि कृष्णा त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के लिए निर्माण कार्य कराये जाने के संबंध में लिये गये निर्णय तथा निर्धारित किये गये क्षेत्राधिकार का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

( चंचल कुमार तिवारी )  
प्रमुख सचिव।

संख्या वं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रदिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. निदेशक, पंचायती राज (लैखा), इन्द्रिरा भवन, उ०प्र०, लखनऊ।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
3. समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
4. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. उप निदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोषक, उ०प्र०, लखनऊ।
6. समस्त मण्डलीय उप निदेशक, पंचायती राज विभाग, उ०प्र०।
7. समस्त संहायक विकास अधिकारी(प०), उत्तर प्रदेश।

उगज्ञा से,

( एस०पी० सिंह )  
उप सचिव।